

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 389] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1979/अग्रहायण 20, 1901
No. 389] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 11, 1979/AGRAHAYANA 20, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate page is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1979

सा. का. नि. 686(अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (3) के साथ पठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री के. एल. एन. राव, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग), नई दिल्ली को श्री के. नारायण, संयुक्त सचिव, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के स्थान

पर भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में एक निदेशक के रूप में नियुक्त करती है और भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार, की अधिसूचना सं. मा. का. नि. 37 तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपरा अधिसूचना में “धारा 7(1)(ख) के अधीन नियुक्त निदेशक” शीर्षक को अन्तर्गत, मद 4 के सामने की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) श्री के. एल. एन. राव, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग), नई दिल्ली।”

[सं. फा. 4-1/73-एफ.सी.आई. (खण्ड-2)]

के. सी. एस. आचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 1979

G.S.R. 686(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri K. L. N. Rao, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture and Cooperation), New Delhi, as a Director on the Board of Directors of the Food Corporation of India established under the said Act, vice Shri K. Narayanan, Joint Secretary, Ministry of Civil Supplies and Cooperation, New Delhi, and directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely :—

In the said notification, under the heading “Directors appointed under section 7(1)(b)”, for item (4) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely :—

“(4) Shri K. L. N. Rao, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture and Cooperation), New Delhi.”

[File No. 4-1/73/FC-I(Vol. II)]

K. C. S. ACHARYA, Jt. Secy.